(60)

न्यायालय माननीय राजस्वमण्डल मप्र , ग्वालियर मध्यप्रदेश

रिव्यु-1411-II-17

प्र.क. /2017/रिव्हयू

अनिलकुमार पुत्र बालकिशन, वरिष्ठनागरिक
निवासी निजीनवग्रहमंदिरकेपीछे कमलागंज शिवपुरी –

बनाम

म. प्र. शासन, द्वारा कलैक्टर शिवपुरी ————

अनिलकुमार धनराज (आवेदक) द्वारा आज दि. 22/5/17 को प्रस्तुत
22/5/17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

<u>रिव्हयू आवेदन अतंर्गत धारा 51 सहपठित धारा 8 मप्र भू राजस्व संहिता 1959</u>

रिव्हयू आवेदन विरुध, राजस्वमण्डल सदस्य श्रीमानसुहेलअली द्वारा पारित गंभीरविधिकत्रुटि आदेश दि. 01/04/2017, प्रं.क. निगरानी / 2893– दो./2016 वउनवान अनिलकुमार वि. मप्रशासन, के संबं अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी के अधिकारिता विहीन आदेश दिनांक 08/08/2016, प्रकरण क. 2/2015–16 , के तार्यतम में <u>जो</u> कमशः सलग्न <u>ऐनेक्जर 1 एवं 2 है, से गंभीररुपसे पीडित होनेसे प्रस्तुत–</u>

Filed today A-1 (sel 8) 22/5/17

माननीय महोदय,

आवेदक का रिव्हयू आवेदन समयसीमा में निराकरण हेतु निम्नानुसार निवेदनार्थ प्रस्तुत है:–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण–

अ. यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है– आवेदक के सन् 1860 (156 वर्षो की) वंशानुगत र एवं अधिकारिता की भूमि तदसर्वे क. 221, 222, 223, 224, 225 (वर्तमान सर्वे क. 211, 212, 213, स्थिति मोझा झिंगरा शिवपुरी है जिसके संबंध में सेटलमेन्ट कमिशनर ग्वालियर के निर्णय दिनांक 09, एवं तहसीलदार शिवपुरी के निर्णय दिनांक 30/03/1963 में आवेदक के पूर्वजों द्वारा संवत् 1917 (स संवत् 2019 (सन् 1962) यानी 102 वर्षो के उक्त सर्वे नम्बरान 221 लगायत 225 के स्वत्वस्वामित्व ए संबंधी मूल अभिलेख खसरे आदि प्रस्तुत किये गये एवं इसी तार्यतम में सिविल न्यायालय शिवपुरी के 19/4/1965 से भी सर्वे क. 221 लगायत 225 के स्वत्वस्वामित्व एवं अधिकारिता की आवेदक के पिता के स्वामित्व के ही होना निर्णित है जिसकी पुष्टी ऐडीजे शिवपुरी के निर्णय दि. 10/12/1965 से उच्च न्यायालय के निर्णय दि. 21/7/1969 द्वारा भी की गई है। तदानुसार आवेदक को विभिन्न वर्ष एवं अधिकार अभिलेख वर्ष 1972–73 प्रदत्त है जिसमें भी तद्सर्वे क. 221 से 225 (वर्तमान 211 से 21

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

[illegible] – अ

[illegible] पुनर्विलोकन [illegible]–दो / 2017 जिला– शिवपुरी

[illegible]	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06–6–2017	आवेदक द्वारा यह पुनर्विलोकन आवेदन म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के तहत निगरानी प्रकरण क्रमांक 2893–दो / 2016 में पारित आदेश 01–4–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। आवेदक को पुनर्विलोकन के ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया।	

2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं इस न्यायालय के मूल प्रकरण का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष तहसीलदार शिवपुरी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के यह व्यक्त किया गया है कि ग्राम झीगुरा की प्रश्नाधीन भूमि म्यूनिसिपल अधिकारी अभिलेख निर्माण वर्ष 1972–73 के पूर्व दर्ज थे। अधिकार अभिलेख के दौरान वगैर किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से यह भूमि 1/2 बंशीलाल पुत्र कन्हैयालाल एवं 1/2 भाग सुभाषचन्द्र पुत्र वालकिशन के नाम अंकित कर दी गई है। तहसीलदार के प्रतिवेदन के आधार पर एवं प्रश्नाधीन भूमि वर्ष 1972–73 के पूर्व से नगरपालिका के स्वामित्व में दर्ज होने से के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी ने भूमि पूर्ववत म्यूनिसीपल नजूल अंकित करने के आदेश दिये हैं जिसे इस न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश से भी स्थिर रखा गया है। इसके अतिरिक्त म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता, 1908 की धारा 114 आदेश 47 नियम (1) में पुनर्विलोकन के लिए निम्नलिखित तीन आधारों का उल्लेख है :–

1. किसी नई या महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना, जो सम्यक तत्परता के पश्चात् भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नही थी, अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी; या
2. मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती या
3. कोई अन्य पर्याप्त कारण

आवेदक द्वारा तर्क के दौरान ऐसी कोई नई बात अथवा तथ्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जो मूल निगरानी में आदेश पारित करतें समय प्रस्तुत नहीं किये गये हों, न ही अभिलेख में परिलक्षित कोई त्रुटि ही बतलाई गई है। आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा इस न्यायालय में जिन तथ्यों को इंगित किया है उनका निराकरण निगरानी प्रकरण कमांक 2893–दो/2016 में पारित आदेश 01–4–2017 में आदेश पारित किया जाकर हो चुका है। अपितु आवेदक अभिभाषक का तकनिकी बिन्दु मान्य किये जाने योग्य है कि तीनों न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष संबंधी जो निष्कर्ष निकाले हैं वह त्रुटिपूर्ण हैं। अतः मूल निगरानी के आदेश के द्वितीय पैरा से ये पंक्ति विलोपित माने जाने के आदेश दिये जाते हैं, परन्तु इससे आदेश के मूल तत्व अथवा निष्कर्ष में कोई परिवर्तन नहीं आयेगा। इस आदेश की एक प्रति निगरानी 2893–दो/2016 में रखी जाये जो उक्त आदेश का अंग होगी।

2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एस0एस0 अली)
सदस्य